

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
(आप.प्रक.क. :- 906 / 2015)
(संस्थित दिनांक :- 18 / 11 / 2015)

म.प्र. राज्य,
द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ।
जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

/// विरुद्ध ///

01. कमलेश शर्मा पुत्र लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, उम्र 52 वर्ष।
निवासी :- व्यास मौहल्ला मौ, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।
02. रविन्द्र उर्फ रबू पुत्र वीर बहादुर यादव, उम्र 27 वर्ष।
03. पंकज यादव पुत्र वीर बहादुर यादव, उम्र 26 वर्ष।
निवासीगण :- पुराना हटवारा मौ, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभियुक्तगण।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 04 / 10 / 2017 को घोषित)

01. अभियुक्तगण कमलेश, रविन्द्र उर्फ रबू एवं पंकज पर भा.द.सं. की धारा 294, 451, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :- 30/04/2015 को रात्रि लगभग 11:00 बजे फरियादी वीरेन्द्र का मकान स्थित वार्ड क्रमांक 12 मौ में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी वीरेन्द्र शिवहरे को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी वीरेन्द्र एवं वर्षा को उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात् प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी वीरेन्द्र एवं वर्षा की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण रविन्द्र उर्फ रबू एवं पंकज ने फरियादी वीरेन्द्र की घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं सहअभियुक्तगण ने फरियादी वीरेन्द्र एवं वर्षा की लात-घूसों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी वीरेन्द्र को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में आरोपीगण कमलेश, रविन्द्र उर्फ रबू, पंकज, मनोज एवं फरियादी वीरेन्द्र के मध्य राजीनामा हो जाना निर्विवादित एक तथ्य है एवं आरोपी मनोज पुत्र किलेदार की प्रकरण के विचारण के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध प्रकरण उपशमित हो चुका है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 30/04/2015 को रात्रि लगभग 11:00 बजे फरियादी वीरेन्द्र का मकान स्थित वार्ड क्रमांक 12 मौ में, आरोपीगण कमलेश, रविन्द्र उर्फ रब्बू, पंकज एवं मनोज द्वारा फरियादी वीरेन्द्र से गाली-गलौच करने, उसके घर में प्रवेश कर उसकी एवं उसकी पत्नी वर्षा की सरिया एवं लात-घूसों से मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी वीरेन्द्र शिवहरे द्वारा दिनांक : 01/05/2015 को दोपहर 04:00 बजे थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 103/15 अन्तर्गत धारा 294, 452, 323, 506 भाग।। सहपटित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपीगण रविन्द्र उर्फ रब्बू एवं पंकज से एक-एक लोहे का सरिया जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी मनोज यादव से एक लाठी जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। फरियादी वीरेन्द्र शिवहरे, आहत वर्षा शिवहरे, साक्षीगण दिनेश एवं अवधबाई के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 451, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी वीरेन्द्र के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से सारतः इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपीगण कमलेश, रविन्द्र उर्फ रब्बू एवं पंकज ने दिनांक :- 30/04/2015 को रात्रि लगभग 11:00 बजे फरियादी वीरेन्द्र का मकान स्थित वार्ड क्रमांक 12 मौ में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी वीरेन्द्र एवं वर्षा को उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात् प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया?

02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी वीरेन्द्र की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण रविन्द्र उर्फ रब्बू एवं पंकज ने फरियादी वीरेन्द्र की घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?

03. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत वर्षा की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने आहत वर्षा की लात-घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहतियों कारित की?

04. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 लगायत 03

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी वीरेन्द्र शिवहरे अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण पंकज, रविन्द्र, मनोज एवं कमलेश को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 26/08/2016 से लगभग एक साल पहले की होकर दिन के 11-12 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उसका आरोपीगण से स्मैक एवं दारू बेचने के उपर वाद-विवाद हो गया था, झूमा-झटकी में वह गिर गया था, जिससे उसे चोट आई थी, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना जाकर की थी, रिपोर्ट प्र.पी. 01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी, ना ही उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर फरियादी वीरेन्द्र शिवहरे अ.सा.01 ने आरोपी पंकज एवं रबू द्वारा उसके सिर एवं पीठ में घातक आयुध सरिया से प्रहार करने का, आरोपीगण के फरियादी वीरेन्द्र के घर में घातक आयुधों से सुसज्जित होकर घुस आने के तथ्य एवं आरोपीगण द्वारा फरियादी वीरेन्द्र की पत्नी आहत वर्षा अ.सा.05 की मारपीट लात-घूसों से किये जाने के तथ्य दर्शित नहीं किये हैं। इस वावत् फरियादी वीरेन्द्र शिवहरे की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.02 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप हैं, जो विरोधाभास की प्रकृति के हैं। उल्लेखनीय है कि फरियादी वीरेन्द्र अ.सा.01 ने घटना दिन के 11-12 बजे की होना दर्शित किया है, जबकि उसके भाई दिनेश अ.सा.04 एवं पत्नी वर्षा अ.सा.05 ने घटना रात्रि लगभग 11:00 बजे की होना दर्शित किया है। वीरेन्द्र अ.सा.01 द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में भी घटना का समय रात्रि 11:00 बजे का होना दर्शित होता है। इस प्रकार आरोपित घटना के समय के संबंध में फरियादी वीरेन्द्र अ.सा.01, दिनेश अ.सा.04 एवं वर्षा अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं वीरेन्द्र अ.सा.01 द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

09. फरियादी वीरेन्द्र शिवहरे की माँ साक्षी अवध बाई अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण पंकज, रविन्द्र, मनोज एवं

कमलेश को नहीं जानती है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 26/08/2016 से लगभग एक साल पहले की है, तब उसके लड़के वीरेन्द्र का कुछ लोगों से मुँहवाद हो गया था, जिसमें झूमा-झटकी में उसका पुत्र वीरेन्द्र गिर गया था, जिससे उसे चोट आई थी। घटना के समय उसकी बहू वर्षा अ.सा.05 मायके गई हुई थी। साक्षी का आगे कहना है कि पुलिस द्वारा उससे कोई पूछताछ नहीं की गई थी, ना ही उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी अवध बाई अ.सा.02 ने आरोपी पंकज एवं रब्बू द्वारा वीरेन्द्र अ.सा.01 के सिर एवं पीठ में घातक आयुध सरिया से प्रहार करने का, आरोपीगण के फरियादी वीरेन्द्र के घर में घातक आयुधों से सुसज्जित होकर घुस आने एवं आरोपीगण द्वारा फरियादी वीरेन्द्र की पत्नी आहत वर्षा अ.सा.05 की मारपीट लात-घूसों से किये जाने के तथ्य दर्शित नहीं किये हैं। इस वावत् अवध बाई की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के है।

10. फरियादी वीरेन्द्र शिवहरे के भाई दिनेश शिवहरे अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण पंकज, रविन्द्र, मनोज एवं कमलेश को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 21/10/16 से लगभग सवा साल पहले की रात्रि लगभग 11:00 बजे की है, उस समय उसके भाई वीरेन्द्र का आरोपीगण से मुँहवाद हो गया था, जिसमें आरोपीगण ने वीरेन्द्र की लात-घूसों से मारपीट कर दी थी, जिसकी रिपोर्ट उसके भाई वीरेन्द्र द्वारा थाना मौ में की गई थी। पुलिस ने घटना के बारे में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी दिनेश शिवहरे अ.सा.04 ने आरोपी पंकज एवं रब्बू द्वारा उसके भाई वीरेन्द्र अ.सा.01 के सिर एवं पीठ में घातक आयुध सरिया से प्रहार करने का, आरोपीगण के फरियादी वीरेन्द्र के घर में घातक आयुधों से सुसज्जित होकर घुस आने एवं आरोपीगण द्वारा फरियादी वीरेन्द्र की पत्नी आहत वर्षा अ.सा.05 की मारपीट लात-घूसों से किये जाने के तथ्य दर्शित नहीं किये हैं। इस वावत् दिनेश की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.06 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के है।

11. साक्षी/आहत वर्षा शिवहरे अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण पंकज, रविन्द्र, मनोज एवं कमलेश को जानती है, जो कि एयरटेल टॉवर के पास मौहल्ला पण्डपुरा स्थित उसके घर के पास ही रहते थे। साक्षी आगे कहती है कि फरियादी वीरेन्द्र उसका पति है। घटना दिनांक : 30/04/2015 की रात्रि 11:00 बजे की है। उस समय आरोपीगण का पिता वीर बहादुर उसके घर आया, घर के बाहर उसके पति एवं सास अवध बाई बैठी हुई थी। वीर बहादुर ने आते ही उसके पति वीरेन्द्र की मारपीट की। जब वह अन्दर से बीच-बचाव के लिए बाहर आई तो वीर बहादुर ने उसकी भी मारपीट की। साक्षी आगे कहती है कि वीर बहादुर के साथ आरोपी कमलेश भी था। वीर बहादुर ने उसे उसके घर के अन्दर ले जाकर उसे पलंग पर गिरा दिया था और उससे छेड़छाड़ की थी। साक्षी आगे कहती है कि वीर बहादुर ने उसकी उंगली में काट लिया था और

उसका गले का मंगलसूत्र एवं नाक की कील छीन ली थी। वीर बहादुर ने उसकी मारपीट भी की थी। उसके बाद आरोपी वीर बहादुर ने अपने लड़के रबू एवं पंकज को बुला लिया था, उन्होंने उसकी एवं उसके पति की मारपीट की। साक्षी आगे कहती है कि उसके पति वीरेन्द्र को आरोपी पंकज ने सरिया मारा था, जो उनके सिर में लगा। आरोपी रबू ने उसकी बेल्ट से मारपीट की, जो उसके पेट एवं पीठ में लगे। आरोपी रबू ने उसे लात-घूसे भी मारे थे। आरोपी मनोज भी अन्य आरोपीगण के साथ मारपीट के दौरान उपस्थित था। साक्षी आगे कहती है कि जब उन लोगों की आवाज सुनकर उसकी सास अवध बाई घटनास्थल पर आई, तो आरोपीगण ने उनके साथ भी मारपीट की। मारपीट के बाद उसने अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल किया था और उक्त कॉल पर से थाना मौ की पुलिस उसके घर आई थी। साक्षी आगे कहती है कि आरोपी रबू ने उसका मोबाइल छुड़ा लिया था, उसके बाद आरोपीगण चले गये थे। उसके बाद वह, उसका पति वीरेन्द्र एवं सास अवध बाई रात्रि में ही घटना की रिपोर्ट करने थाना मौ गये थे, जहाँ पर उसके घटना घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी। नक्शा-मौका प्र.पी.07 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में वर्षा अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह घटना दिनांक : 30/04/2015 को अपने मायके ग्वालियर में थी, ना कि घटनास्थल पर। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि वह घटना के एक दिन पश्चात् दिनांक : 01/05/2015 को मायके से अकेली ससुराल वापस आई थी और बस से उतरते समय बस स्टेण्ड मौ पर बस की सीढ़ी से गिर जाने पर उसे चोटें आई थी। इस प्रकार वर्षा अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में सारतः यह कहना है कि वह घटना दिनांक : 30/04/2015 को रात्रि लगभग 11:00 बजे अपनी ससुराल में अर्थात् घटनास्थल पर ही मौजूद थी। जबकि वर्षा अ.सा.05 के पति फरियादी वीरेन्द्र अ.सा.01, वर्षा की सास अवध बाई अ.सा.02 एवं उसके जेठ साक्षी दिनेश अ.सा.04 ने उनके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में आरोपी अधिवक्ता के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वर्षा अ.सा.05 घटना के अगले दिन सुबह मायके से मौ वापस आई थी एवं बस से उतरते समय वह गिर गई थी, जिससे उसे चोटे आई थी। इस प्रकार घटना दिनांक : 30/04/2015 को रात्रि लगभग 11:00 बजे आरोपित घटनास्थल पर आहत वर्षा अ.सा.05 की उपस्थिति के संबंध में वर्षा अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों एवं फरियादी वीरेन्द्र अ.सा.01, अवध बाई अ.सा.02 एवं साक्षी दिनेश अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि वर्षा अ.सा.05 के अभिसाक्ष्य की सत्यता को संदेहास्पद बनाते हैं।

13. मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में वर्षा अ.सा.05 का यह कहना है कि आरोपी वीर बहादुर ने उसकी उंगली में काट लिया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में वर्षा अ.सा.05 का कहना है कि आरोपी वीर बहादुर द्वारा उसे पंलग पर पटककर उंगली में काट लेने, मंगलसूत्र एवं नाक की कील छीन लेने की बात उसने पुलिस को बताई थी, अगर उक्त बातें उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 में ना लिखी हो तो वह कारण

नहीं बता सकती। उल्लेखनीय है कि आहत वर्षा अ.सा.05 के पुलिस कथन प्र.डी.01 में आरोपी वीर बहादुर द्वारा आहत वर्षा की उंगली में काट लिये जाने के तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है। उल्लेखनीय यह भी है कि आहत वर्षा का मेडीकल परीक्षण करने वाले डॉक्टर महेन्द्र राठौर उसकी रिंग फिंगर में 0.5 गुणा 0.5 से.मी. के छिलन के घाव का उल्लेख किया है, ना कि दाँतों से काटने के किसी कटे हुये घाव का। डॉ.महेन्द्र राठौर द्वारा इस वावत् दी गई मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.04 में रिंग फिंगर की उक्त चोट का कारण फ्रिक्शन वाय सर्फेस एरिया अर्थात् किसी सतह से रगड़ जाना बताया है, ना कि मानव दाँत से काटकर कारित होना। इस प्रकार आरोपी वीर बहादुर द्वारा दाँत से काटकर आहत वर्षा की उंगली में चोट कारित करने के संबंध में आहत वर्षा अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य, उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 एवं मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.04 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि इस वावत् वर्षा अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

14. मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 02 में वर्षा अ.सा.05 का यह कहना है कि घटना के पश्चात् वह, उसका पति वीरेन्द्र एवं सास अबध बाई घटना की रिपोर्ट करने थाना मौ गये थे, जहाँ पर उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में वर्षा अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके द्वारा घटना की कोई रिपोर्ट नहीं की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त रिपोर्ट वर्षा के पति वीरेन्द्र अ.सा.01 द्वारा लेखबद्ध कराई गई है, ना कि वर्षा के द्वारा और उक्त रिपोर्ट प्र.पी.01 के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि उक्त रिपोर्ट प्र.पी.01 दिनांक : 30/04/2015 की रात्रि में लेखबद्ध नहीं कराई गई है, बल्कि उक्त रिपोर्ट दिनांक : 01/05/2015 की दोपहर 04:00 बजे लेखबद्ध कराई गई है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 घटना दिनांक : 30/04/2015 की रात्रि में लेखबद्ध किये जाने एवं उक्त रिपोर्ट आहत वर्षा अ.सा.05 द्वारा लेखबद्ध कराये जाने के संबंध में आहत वर्षा अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि आहत वर्षा अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

15. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में वर्षा अ.सा.05 ने यह दर्शित किया है कि पुलिस ने उसका कथन प्र.डी.01 घटना वाली रात को ही अर्थात् दिनांक : 30/04/2015 को लेखबद्ध कर लिया था। परन्तु उक्त कथन प्र.डी.01 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त कथन दिनांक : 01/05/2015 को लेखबद्ध किया गया है, ना कि दिनांक : 30/04/2015 को। इस प्रकार उक्त तथ्यों के संबंध में वर्षा अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

16. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में वर्षा अ.सा.05 ने यह दर्शित किया है कि उसने आरोपी रबू द्वारा उसकी बेल्ट एवं सरिया से मारपीट करने और मोबाइल फोन छुड़ा लेने की बात पुलिस को बता दी थी, अगर उक्त बात उसके पुलिस कथन

प्र.डी.01 में ना लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती। उल्लेखनीय है कि वर्षा अ.सा.05 के पुलिस कथन प्र.डी.01 में उक्त तथ्यों का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के संबंध में वर्षा अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है। आहत वर्षा अ.सा.05 ने आरोपीगण द्वारा घातक आयुध सरिया से सुसज्जित होकर उसके घर में प्रवेश कर आरोपीगण द्वारा उसके पति वीरेन्द्र अ.सा.01 की मारपीट करने का तथ्य दर्शित किया है, जबकि वीरेन्द्र अ.सा.01, अवध बाई अ.सा.02 एवं दिनेश अ.सा.04 ने आरोपीगण द्वारा घातक आयुध सरिया से सुसज्जित होकर फरियादी वीरेन्द्र के घर में प्रवेश करने और सरिया से वीरेन्द्र की मारपीट करने का तथ्य अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी दर्शित नहीं किया है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के संबंध में फरियादी वीरेन्द्र अ.सा.01, अवध बाई अ.सा.02, दिनेश अ.सा.04 एवं वर्षा अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

17. आरोपीगण एवं फरियादी वीरेन्द्र के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख पर है और फरियादी वीरेन्द्र अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

18. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण कमलेश, रविन्द्र उर्फ रबू एवं पंकज ने दिनांक : 30/04/2015 को रात्रि लगभग 11:00 बजे फरियादी वीरेन्द्र का मकान स्थित वार्ड क्रमांक 12 मौ में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी वीरेन्द्र एवं वर्षा को उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात् प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी वीरेन्द्र एवं वर्षा की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण रविन्द्र उर्फ रबू एवं पंकज ने फरियादी वीरेन्द्र की घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं सहअभियुक्तगण ने आहत वर्षा की लात-घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहतियों कारित की।

अंतिम निष्कर्ष

19. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपीगण कमलेश, रविन्द्र उर्फ रबू एवं पंकज के विरुद्ध धारा 451, 323/34 एवं 324/34 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को धारा 451, 323/34 एवं 324/34 भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

20. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

21. प्रकरण में आरोपीगण रविन्द्र उर्फ रबू एवं पंकज से जब्तशुदा एक-एक लोहे

का सरिया एवं विचारण के दौरान मृत आरोपी मनोज यादव से जब्तशुदा एक लाठी मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित की जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद